विचार बिन्दु

घृणा हृदय का पागलपन है। –बायरन

उत्तराखण्ड में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 विधानसभा में पारित

उत्तराखण्ड भारत गणराज्य का सत्ताइसवा राज्य है, इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यह अनुच्छेद राज्य की नीति के तत्व का एक अंग है। संविधान निर्माताओं ने जहां नागरिकों को मूल अधिकार संविधान के भाग-3 में दिए हैं, जिन्हें देश राजनीतिक अधिकार मानता है, वहीं भाग-4 में देश के नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिए हैं। प्रियम्बल में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देने की घोषणा की है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राजक्षेत्र में बसे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का संवैधानिक दायित्व निभायेगा।

कुछ राजनीति के विद्वानों द्वारा यह शंका उत्पन्न की गई कि संविधान के अनुच्छेद-37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। परंतु वे भूल जाते हैं कि ये ही प्रावधान नीति-निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं।

अनुच्छेद 37 के होते हुए संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे प्रावधान है, जहां समय-सीमा में कार्य पूरा होना चाहिए था। 26, जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय अनुच्छेद 45 इस प्रकार था, "राज्य 16 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में प्रदान करेगा।" यह बाध्यकारी प्रावधान था। इसमें संशोधन किया गया और अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 21 में संशोधन कर उसे 21ए व अनुच्छेद 45 में नया रूप दे दिया गया। वस्तुत 14 वर्ष के बालकों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा 25 जनवरी 1970 तक पूरी की जानी थी, किंतु राज्य ने ऐसा नहीं कर संविधान की अवज्ञा की। यह संवैधानिक संशोधन अवैध था। इसी प्रकार अनुच्छेद 334 है जो स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की 10 वर्ष की सीमा के लिए था और यह स्पष्ट कर दिया था कि समय की सीमा 10 वर्ष के बाद यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें हर 10 वर्ष बाद संशोधन किया जाता रहा है। यह संशोधन भी असंवैधानिक है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा के संबंध में है और इसके खण्ड 3 में अंग्रेजी को 15 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंग्रेजी का प्रयोग खण्ड (क) व (ख) के अनुसार ही हो सकेगा। यहां भी संविधान की अवज्ञा की गई। इसे समझने के लिए हम अनुच्छेद 120 को समझने का प्रयत्न करें। इस उपखंड (2) को पढ़े तो स्पष्ट हो जावेगा कि 15 वर्ष की अवधि, जो अनु. 348 में दी गई थी, उसे इस प्रकार पढ़ा जावेगा, मानों 'अंग्रेजी' शब्द का उसमें से लोप कर दिया गया है। ये सब प्रावधान Sunset Laws के सिद्धांतों के अनुरूप थे और अवधि के बाद वे अस्तित्व में नहीं रहे। अनुच्छेद 37 के कारण इसका विरोध हुआ है, किंतु संसद ने चर्चा के बाद इसे पारित किया है, अत: चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि राज्य को इसे अधिक से अधिक 15 वर्ष की अवधि में लागू करना चाहिए था। इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि राज्य इसे लागू ही न करे या अनिश्चित काल तक सोता ही रहे। यों भी प्रतिबंध कोर्ट में जाने का है, किंतु विधि बना कर लागू करना राज्य का कर्तव्य माना है।

अनु. 44 के प्रावधान डॉ. अंबेडकर के अनुसार केवल पूज्यनीय घोषणाएं नहीं है, अपितु अनु. दस्तावेज के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1985 में शाह बानो व इसके 10 वर्ष बाद सरला मुदगल के केस में इसे लागू करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सभ्य समान में धर्म व व्यैक्तिक कानूनों में कोई संबंध नहीं है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि 1935 से पहले पूर्व भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में उत्तराधिकार के मामले शरीयत से नहीं हिंदु सक्सेशन लॉ से गवर्न होते थे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड/समान नागरिक संहिता के द्वारा यह व्यवस्था है कि राज्य सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने की व्यवस्था करे। सामान्य अर्थ में समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान हो।

उत्तराखण्ड सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए 27, मई 2022 को एक समिति का गठन पूर्व जस्टिस (सुप्रीम कोर्ट) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया। कमेटी ने 180 दिन से अधिक इस पर चर्चा की और 749 पेज की रिपोर्ट दी। 5 सदस्यों की कमेटी ने कहा कि अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून नहीं होना ही समान नागरिक संहिता है। यह किसी भी पंथ, जाति के सभी कानूनों के ऊपर है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बनने से संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता की अनुच्छेद 25-28 में गांरटी है, वह सुदृढ होगी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट उत्तराखण्ड सरकार को सौंप दिया है। बिल में 392 धारायें हैं। कमेटी के पास 2,32,961 सुझाव आए थे। कमेटी ने 72 मीटिंग की थी। ड्राफ्ट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-

उत्तराखण्ड सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए 27, मई 2022 को एक समिति का गठन पूर्व जस्टिस (सुप्रीम कोर्ट) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया। कमेटी ने 180 दिन से अधिक इस पर चर्चा की और 749 पेज की रिपोर्ट दी। 5 सदस्यों की कमेटी ने कहा कि अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून नहीं होना ही समान नागरिक संहिता है। यह किसी भी पंथ, जाति के सभी कानूनों के ऊपर है।

1- इसके लागू होने से बहुविवाह पर रोक लगेगी, वे पूर्णतया रुक जावेंगे। 2- लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा, अपने माता-पिता को, विशिष्ट रिश्तेदारों को। पुलिस में इसका पंजीकरण होगा। विवाह के बाद इसका पंजीकरण अन्य दस्तावेजों के समान पंजीकरण आवश्यक होगा। पंजीकरण किसी संबंधित गांव या कस्बे में होगा। 3- पंजीकरण के अभाव में विवाह अमान्य माना जावेगा। 4- पंजीकरण न होने से किसी भी सरकारी सुविधा से जो उन्हें प्राप्त है, वंचित होना पडेगा। 5- मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा, गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। 6- लडकियों को बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। 7- मुस्लिम समुदाय में हलाला व इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 8- नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। 9- यूसीसी एक सामाजिक व्यवस्था है, कानून है, जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, बच्चों को गोद लेने, भूमि-जायदाद व संरक्षण के मामलों से संबंध रखता है और भारत में रहने वाले धर्म-समुदायों को संचालित करता है जैसे हिंदु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी आदि जिनके अपने-अपने व्यक्तिगत कानून है। 10- समान नागरिक संहिता महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीडन को समाप्त करने वाला एक कानून है। 11- ड्राफ्ट में नियमों को न मानने और शादी का पंजीयन न कराने पर जुर्माने व सजा के प्रावधान है।

अपवाद के रूप में जनजाति के लोगों पर यूसीसी का कानून लागू नहीं होगा। इसे भेदभावकारी होने से चुनौती दी जा रही है, किंतु इसका प्रतिवाद अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 में दिया गया है।

उत्तराखण्ड की केबिनेट में दिनांक 03.02.2024 को यह रिपोर्ट पेश हुई थी किंतु कोई चर्चा नहीं हुई। दिनांक 04.02.2024 को केबिनेट की मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई और उसे लीगल कमेटी की राय पर स्वीकृति प्रदान की गई। उसे दिनांक 06.02.2024 को विशेष रूप से बुलाई गई असेंबली में पेश किया गया। असेंबली ने 06.02.2024 व 07.02.2024 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। असेंबली द्वारा पारित होते ही यह अधिनियम हो गया। ड्राफ्ट 749 पृष्ठों का है तथा 4 भागों में है।

संविधान निर्मात्री सभा ने गहन चर्चा के बाद इसे संविधान के भाग-4 के अनु. 44 के रूप में बनाया। संविधान के भाग-4 के अनु. 44 में वे तत्व (सिद्धांत) है, जो देश के शासन के मूलाधार है, इन्हें लागू करना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। अनु. 44 का उल्लेख सन् 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के केस में किया है, उसके बाद सरला मुदगल के केस में और पुन: 2003 जॉन वेलभट्ट के केस में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर ने इस पर अपने विचार विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहा था "अनु. 44 को लागू न करना भारतीय लोकतंत्र की असफलता है।" जस्टिस हेगडे ने कहा था धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ मध्यकाल की बात है। अनु. 44 यानी समान नागरिक संहिता का विरोध एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान करना है। अत: इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार आचरण करना होगा। देश धर्म-निरपेक्ष है, अत: धर्म के नाम पर संविधान की अवज्ञा की अनुमति नहीं दी जा सकती। समान नागरिक संहिता कई मुस्लिम देशों में लागू है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश है।

उपरोक्त चरणों में जो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया था और राज्य सरकार को प्रेषित किया था, उसकी मुख्य सिफारिशों को तथा निर्देशनों का उल्लेख किया है, वस्तुत: वे ही अधिनियम, 2024 के कानूनी प्रावधान है। अत: उन्हें यहां रिपीट नहीं किया जा रहा है। संक्षिप्त में निम्नलिखित रूप से उद्धत किया जा रहा है :-

1- समान नागरिक संहिता का अधिनियम, 2024 सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से शादी, तलाक, भूमि, प्रॉपर्टी, विरासत संरक्षण, गुजारा भत्ता आदि पर समान रूप से लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग एक से अधिक शादी नहीं करेंगे। तलाक का कानून भी एक होगा। बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं होगी। एक वर्ष के बाद तलाक नियमानुसार ले सकेंगे। इसकी पालना न करने पर जुर्माना व सजा होगी। विवाह का पंजीकरण एक माह में कराना होगा, अन्यथा 25,000 का जुर्माना होगा। 2- विवाह व लिव इन रिलेशपशिप का पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा शादी मान्य नहीं होगी तथा इसे न मानने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 3- मुस्लिम महिलाएं भी गोद ले सकेंगी। विरासत में लडके व लडकी में भेद नहीं होगा। कानून लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति, स्व-अर्जित संपत्ति मानी जावेगी। 4- शादी की उम्र लडकी व लडके की क्रमश: 18 व 21 वर्ष से कम नहीं होगी। 5- बाल विवाह और बहुविवाह निषेध है। शादी की प्रक्रियाएं प्रत्येक धर्म के अपने-अपने रीति-रिवाज के अनुसार होगी। 6- कानून के विरूद्ध विवाह करने पर छह माह की सजा व 50 हजार रूपये तक जुर्माना होगा। 7- लिव इन रिलेशपशिप के बच्चे उनके माता-पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे।

समीक्षा- यूसीसी अधिनियम, 2024 को पढने मात्र से यह आभास होता है कि एक व्यैक्तिक कानून को आपराधिक कानून बना दिया है। सजा के प्रावधान अव्यवहारिक हैं। गरीब के लिए शादी करना कई मुसीबतों को जन्म देगा। इसे लागू करने से संभवत: भ्रष्टाचार बढेगा।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान के लेखानुदान प्रस्तावों से खेती किसानी को मिलेगा बूस्ट

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

वित्त मंत्री दीया कुमारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए उपमुख्यमंत्री व वित मंत्री दीया कुमारी ने केवल तीन-चार माह के सरकार चलाने के खर्चों को पारित कराने तक ही सीमित नही रखकर सर्वस्पर्शी अंतरिम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत कर साफ संदेश दे दिया है। अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और विकास का रोडमेप सामने रख दिया है। केन्द्र सरकार की तरह ही यह अंतरिम बजट युवा, महिला, गरीब और किसान केन्द्रीत रहा है। लगभगी सभी पक्षों को लेकर राज्य सरकार की ईच्छा शक्ति को सामने रख दिया गया है। हांलाकि सर्वस्पर्शी बजट अभिभाषण होने के साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के अंतरिम बजट में खेती किसानी पर खास जोर दिया गया है। वित मंत्री दीया कुमारी ने बजट प्रस्तावों को पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहकर कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन और दीर्घकालीन विकास का रोडमेप सामने रखा है। इनसे निश्चित रुप से अल्पकालीन नहीं अपितु खेती किसानी में दीर्घकालीन सुधार होगा वहीं किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा।

अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों द्वारा जिस बात पर जोर दिया जाता रहा है लगता है कोई सरकार पहलीबार उस पर कोई सरकार पहलीबार इतनी गंभीर नजर आ रही है। भजन लाल सरकार के पहले अंतरिम बजट में श्री अन्न योजना को लेकर सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि सरकार ने 12 लाख किसानों को मक्का बीज, 8 लाख काश्तकारों को बाजरा व एक लाख काश्तकारों को ज्वार के उन्नत गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तिलहन और दलहन को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रतिवद्धता को ही ध्यान में रखते हुए सात लाख काश्तकारों को सरसों और चार लाख किसानों को मूंग व एक लाख किसानों को मोठ के उन्नत बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब इससे साफ हो जाता है कि इससे किसान, खेती ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ही सीधा सीधा लाभ मिलेगा।

बीज वितरण होगा तो वह खेती में ही काम आयेगा, उन्नत बीज होगा और उससे बाजरा, मक्का, ज्वार, सरसों, मूंग मोठ आदि का उत्पादन बढ़ेगा और इसका लाभ भी किसान और साथ साथ देश और प्रदेश को मिलेगा। मेरा आरंभ से ही मानना रहा है कि किसानों को ऋण माफी या नकद अनुदान के स्थान पर उतनी राशि का कुछ अंश भी यदि इनपुट यानी कि खाद-बीज के रुप में दिया जाये तो सही मायने में यह काश्तकार की सहायता है। दरसल अनुदान के रुप में नगद राशिमिलना चाहे वह ऋण माफी हो या अन्य तो उसका उत्पादकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता और इससे काश्तकार को जो लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा होती है वह पूरी भी नहीं हो सकती। भले ही ऋण माफी या नकद राशि से किसान खुश हो जाए पर जो खेती-किसानी को वास्तविक लाभ इनपुट वितरण से हो सकता है वह किसी दूसरे विकल्प से नहीं।

अच्छी बात यह है कि वित मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट में खेती किसानी के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को भी उतना ही महत्व दिया है जितना प्रमाणित गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने पर दिया है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए दो हजार करोड रु. का प्रावधान किया है। इसमें पानी के संरक्षण हेतु 20 हजार फार्म पॉड, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाईन, 50 हजार किसानों को तारबंदी हेतु सहायता, 5 हजार वर्मी कंपोस्ट के साथ ही कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल है। इसके अलावा 500 कस्टम हायरिंग सेंटर में ड्रोन जैसी सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे जहां एक और पानी की एक एक बूंद सहेजी जा सकेगी और खेती में सिंचाई के पानी की छीजत को कम किया जा सकेगा वहीं वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और ड्रोन जैसी तकनीक हायरिंग आधार पर किसान प्राप्त कर सकेंगे। वित मंत्री दीया कुमारी ने पीएम किसान सम्मान निधि भी 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार करने की घोषणा की हैं वहीं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रु. प्रति क्विंटल बोनस देने की बात भी कही है। डेयरी के साथ ही पशुपालन को भी उतना ही महत्व दिया गया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब खेती के साथ पशुपालन एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। हांलाकि कृषि में उपकरणों/यंत्रों के उपयोग के कारण पशुपालन प्रभावित हुआ है पर पशुपालन ही किसान की आर्थिक उन्नती का प्रमुख माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि 5 लाख गोपाल क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रावधान करते हुए एक-एक लाख रु. का ब्याजमुक्त ऋण देने का प्रस्ताव है। निश्चित रुप से इससे पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि यदि कोई सरकार खेती किसानी का वास्तविक भला चाहती है तो उसे खेती के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता राशि का उपयोग उन्नत प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने में करने का फैसला करती है तो उससे केवल किसान ही नहीं अपितु देश ओर प्रदेश को समग्र रुप से मिल सकता है। यह साफ हो जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी अर्थ व्यवस्था की सीधे सीधे प्रभावित करती है। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है तो रुस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध आदि इसके जीते जागते उदाहरण है। खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ ही यदि किसानों को उनकी पैदावार का पूरा पैसा मिलने लगे तो निश्चित रुप से किसान समृद्ध होंगे और इसका लाभ सामाजिक -आर्थिक विकास में प्राप्त हो सकेगा।

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

'आगामी बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता'

बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने जानकारी दी कि इस साल 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे

- सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण सम्पन्न
- दो दिवसीय सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण में 50 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने कहा कि आगामी परीक्षाओं में गोपनीयता और पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करे। आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण गुरूवार को सम्पन्न हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय में आयोजित दो दिवसीय सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण में 50 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में संभागियों को बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीयता एवं पारदर्शिता संबंधी जानकारी दी गई। सचिव मेघना चौधरी ने संभागियों को जानकारी दी कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। इतनी बड़ी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी हम पर है। सभी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। परीक्षा के प्रश्न-पत्र पुलिस थानों व चौकियों में रखे जाएंगे।

परीक्षा के सफल संचालन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केन्द्रीय कंट्रोल रूम 24 फरवरी के प्रात: 6 बजे से विधिवत शुरू हो जाएगा। यह परीक्षा समाप्ति तक 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। इसी तरह जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम 27 फरवरी से शुरू होंगे। गोपनीयता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों की निगरानी वीडियोग्राफी व सीसीटीवी से कराई जाएगी। प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। परीक्षाओं में निगरानी के लिए राजकीय पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। इसी तरह अन्य इंतजाम भी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल रोकने के विशेष इंतजाम रहेंगे। बच्चों को परीक्षा से पहले ही समझाया जाएगा कि वे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या नकल से संबंधित सामग्री नहीं लेकर जाएं। परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं। परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय का भी विशेष इंतजाम रहेगा।

बोर्ड सचिव ने कहा कि कार्मिकों पर भी नजर रहेगी। कोई भी कार्मिक किसी तरह की अनुचित गतिविधियों में शामिल रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

मौसम में आए बदलाव से मोयला मच्छर खेतों से सड़कों पर पहुंचा

- राहगीर व वाहन चालकों की आंखों के लिए बना परेशानी कर सबब

अजमेर, (कासं)। सर्दी के तीखे तेवर के बाद मौसम में हुए बदलाव के चलते गर्मी शुरू होने के साथ ही शहर में मोयला मच्छर का प्रकोप सड़कों पर छाने लगा है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालकों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। बाइक चलाते समय मच्छरों के आंखों में जाने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है, लोगों को चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल चलानी पड़ रही है। खेतों में खड़ी धनिए, राई, सरसों आदि फसलों में पनपने वाले मोयला मच्छरों का आतंक फैला है।

फसलों पर मोयला, चेपा या एफिड कीट का खतरा मंडराने लगा है। इससे किसान तो चिंतित हैं ही, राहगीर भी परेशान हैं। मौसम में बदलाव के चलते चेपा मच्छर का प्रकोप अधिक है। अजमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में तापमान में हुए बदलाव के साथ लोगों को गर्मी का एहसास भी होने लगा है, दिन में धूप सुहानी लगने लगी है वहीं सुबह-शाम ठंड का असर बना हुआ है। मोयला अक्सर सरसों की फसल में फूल आने पर लगता है। खासकर फरवरी-मार्च में सक्रिय रहता है। इस समय अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर मोयला अधिक संख्या में फैलता है। यह फसल रायड़े व जीरे सहित रबी की विभिन्न फसलों में झुंड के रुप में बैठकर फसलों से रस चूसता है। पूरी फसलों को नष्ट कर देता है। आंखों में मोयले के गिरने से जलन होती है। इससे कॉर्नियल इंफेक्शन होता है। राहगीरों को भी चलने में परेशानी आ रही है। पूरे दिन लोग आंखों से मच्छर निकालते नजर आते हैं। कपड़ों के साथ बालों में भी ये बारीक मच्छर चले जाने से परेशानी होती है।

अजमेर के नेत्र रोग चिकित्सकों का कहना रहा कि मोयला मच्छर के आंखों में गिरने से कॉर्नियल इंफेक्शन का खतरा रहता है। बाइक सवार को आंखों में मोयला के गिरने पर उसको निकालने का सही तरीका नहीं अपनाया जाए तो आंखों संबंधी कई रोग हो सकते हैं। इस कीट के गिरने से मोतियाबिंद या काला पानी सहित आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियां भी हो सकती है। इससे बचने के लिए वाहन चालकों को चश्मे और ग्लास वाला हेलमेट के उपयोग करना चाहिए। खासकर सवेरे सूर्य निकलने और दोपहर बाद काफी सक्रिय रहते हैं। दोपहर में धूप तेज रहने पर यह कीट नष्ट भी हो जाता है। थोड़े समय के लिए पनपता यह जीव व्यक्ति के आंखों में गिरकर आंखों के रोग फैलाते हैं। आंखों में मोयला मच्छर की जाने के उपरांत ठंडे पानी से आंखें साफ करनी चाहिए।

सांभर की सब्जी मंडी में सुविधाओं का अभाव

सांभरझील, (निसं)। यहां गोला बाजार के निकट सांभर की एकमात्र सब्जी मंडी में आने वाले व्यापारियों, आढतियों और यहीं बैठकर फल और सब्जी बेचने वाले फुटकर दुकानदारों को सब्जी मंडी में मिलने वाली जरूरी सुविधाएं आज भी कोसों दूर है। रोजाना लाखों रुपए का फल सब्जी का व्यापार करने वाली इस मंडी के माध्यम से नगर पालिका राजस्व की प्राप्ति भी करती है। कुछ की यहां पर पालिका की ओर से दुकान किराए पर दे रखी है तो कुछ को मापदंड के अनुसार फुटपाथ पर बैठने की इजाजत है। इन सभी से किराया वसूला जाता है।

जानकारी अनुसार कुछ दुकानदारों की ओर से पालिका का आज तक किराया बकाया छोड़ रखा है। करीब पांच दशक से सब्जी मंडी में पालिका प्रशासन की ओर से न तो उसकी बनावट में तब्दीली की गई है और न ही यहां के स्वरूप को सुधरा गया है। सब्जी मंडी को टीनशेड से ऊपर से ढका हुआ है लेकिन इस टीनशेड में जगह-जगह से छेद हो गए हैं, बारिश का पानी आता है तो पूरी सब्जी मंडी में चारों ओर पानी भर जाता है। बारिश के पानी को निकालने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कोई हल नहीं ढूंढा गया है, बताया गया कि पुराने दुकानदार इस सब्जी मंडी की व्यवस्था से दुखी होकर अन्यत्र काम करने चले गए हैं। शाम को सब्जी मंडी बंद होने के बाद यहां पर किसी चौकीदार की भी नियुक्ति की हुई नहीं है। गर्मी के मौसम में स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आता है क्योंकि टीनशेड गर्मी में तपते रहते हैं और प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवारा पशुओं का जमघाट भी लोगों व सब्जी बेचने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

फल व थोक व्यापारी सतीश चांदवानी ने बताया कि जो भी समस्या है सब्जी मंडी की उसको पालिका के स्तर पर दूर करना चाहिए ताकि यहां धंधा करने वाले लोगों को बारिश और गर्मी से निजात मिल सके।

राशिफल शुक्रवार 9 फरवरी, 2024

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:29 तक, व्यतिपात योग सांय 7:06 तक, शकुनि करण प्रात: 8:03 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-मेष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 11:29 तक है। आज देव-पितृकार्य अमावस्या, मौनी अमावस्या, द्वापर युगाददि, महोदय योग प्रात: 8:03 से सूर्यास्त तक है। आज अमावस्या तिथि का क्षय हुआ है। आज व्यतिपात पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:34 तक, लाभ-अमृत 8:34 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:48 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 6:10

मेष
व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

कन्या
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
घर-परिवार के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।